[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

((केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 90 /2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.-------(अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 56/2000-सीमा शुल्क दिनांक 05 मई, 2000 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 399 (अ), दिनांक 05 मई, 2000 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, अंक और वर्ण के लिए "पैराग्राफ 4क.8" के स्थान पर "पैराग्राफ 4.45" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में, अंक और शब्द के लिए "120 दिन" के स्थान पर "90 दिन" दोनों स्थानों पर जहां कहीं भी हों, को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा.सं.डीजीईपी/जीएंडजे/36/2017]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी.- दिनांक 05 मई, 2000 की प्रधान अधिसूचना सं. 56/2000-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक **:-** दिनांक 05 मई, 2000 की सा.का.नि. सं. 399 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 29 जून, 2017 की सा.का.नि. सं. 727 (अ) के अंतर्गत दिनांक 29 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।